न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सत्य नारायण—I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :— 140/2024 | **जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2024/109**
दायर दिनांक :— 19.07.2024 | **निर्णय दिनांक :— 19.12.2025**

1. जेठी पत्नि हेमाराम जाति कुम्हार निवासी मटोल तहसील घंटियाली जिला फलोदी

—प्रार्थी

बनाम

1. जगदीश कुमावत पुत्र प्रभुराम जाति कुमावत निवासी मटोल तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. प्रभुराम दतक पुत्र राजूराम जाति कुमावत निवासी मटोल तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. भरत कुमावत पुत्र प्रभुराम नाबा. जरिये कुदरती वली माता संतोष पत्नि प्रभुराम जाति कुमावत निवासी मटोल तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. बीरूराम पुत्र फगलूराम जाति विश्नोई निवासी मटोल तहसील घंटियाली जिला फलोदी
5. अशोकसिंह पुत्र हरिसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी मटोल तहसील घंटियाली जिला फलोदी
6. आनन्दसिंह पुत्र हरिसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी मटोल तहसील घंटियाली जिला फलोदी
7. ईश्वरसिंह पुत्र हरिसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी मटोल तहसील घंटियाली जिला फलोदी
8. जगदीशसिंह पुत्र हरिसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी मटोल तहसील घंटियाली जिला फलोदी
9. प्रेमसिंह पुत्र हरिसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी मटोल तहसील घंटियाली जिला फलोदी
10. मगसिंह पुत्र हरिसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी मटोल तहसील घंटियाली जिला फलोदी
11. संजयसिंह पुत्र हरिसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी मटोल तहसील घंटियाली जिला फलोदी
12. सुमित्राकंवर पत्नि हरिसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी मटोल तहसील घंटियाली जिला फलोदी
13. खेरखातु पत्नि युसुफखां जाति मुसलमान निवासी ननेऊ तहसील घंटियाली जिला फलोदी
14. मदीनाखातू पत्नि दूरमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ननेऊ तहसील घंटियाली जिला फलोदी
15. अब्दुलहक पुत्र नूरमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी मटोल तहसील घंटियाली जिला फलोदी
16. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

—अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :—1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली

Satya..
उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीनी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थीनी की खातेदारी अधिकारों की काश्त की भूमि खसरा नम्बर 599/239 रकबा 4.1611 हैक्टेयर सरहद मौजा मटोल पटवार हल्का बाबा का धोरा तहसील घंटियाली जिला फलोदी (राज.) में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीनी का राजस्व अभिलेख जमाबंदी रेकार्ड अनुसार उक्त भूमि पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है और प्रार्थीनी ने अपनी उक्त भूमि पर अपनी रहवासीय ढाणी, पानी के टांके, पशुओ के बाड़े इत्यादि बना रखे है। उक्त रहवासीय ढाणी में प्रार्थीनी अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते आ रही है। प्रार्थीनी ने अपनी उक्त खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाने हेतु श्रीमान तहसीलदार साहब घंटियाली के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया और तहसीलदार साहब (भू.अ.) घंटियाली ने क्रमांक 311 दिनांक 10.01.2024 को उक्त भूमि की पैमाईश करने के आदेश पटवारी हल्का को दिये। पटवारी हल्का उक्त आदेश की पालना में दिनांक 14.05.2024 को मौके पर जाकर प्रार्थीनी एवं अन्य खातेदारों की उपस्थिति में उक्त भूमि की पैमाईश मुस्तकिल बिंदु से कर मौका फर्द तैयार कर प्रार्थीनी एवं उपस्थित मौतबीरान को पढ़ कर सुनाया गया। उक्त पैमाईश फर्द नियमानुसार तहसील कार्यालय में जमा करवा दी। प्रार्थीनी जब पैमाईश अनुसार अपनी भूमि के चारों ओर खूंटे रोपने लगी तो उक्त भूमि के पड़ौसी खातेदार अप्रार्थीगण सं. 1 ता 15 ने पैमाईश प्रार्थीनी की हद में खूंटे रोपने से मना कर दिया और उक्त पैमाईश को मानने से इन्कार कर दिया। प्रार्थीनी अपनी खातेदारी की उक्त भूमि में बरसात के मौसम में काश्त करती है तब उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थीनी द्वारा की गई काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है और प्रार्थीनी को अपुरर्णीय क्षति हो रही है। इसलिए प्रार्थीनी ग्राम मटोल पटवार क्षेत्र बाबा का धोरा तहसील घंटियाली जिला फलोदी के खसरा नम्बर 599/239 रकबा 4.1611 हैक्टेयर भूमि की हुई भूमि पैमाईश अनुसार प्रार्थीनी अपनी हद में पत्थरगढी करवाना चाहती है। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 16 पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 16 पैरोकार सरकार ने जवाब में बताया कि खसरा नम्बर 599/239 रकबा 4.1611 हैक्टेयर सरहद मौजा मटोल पटवार हल्का बाबा का धोरा तहसील घंटियाली जिला फलोदी भूमि की पत्थरगढी पैमाईश फर्द दिनांक 14.05.2024 के अनुसार प्रार्थीनी की हद में प्रार्थीनी और अप्रार्थीगण को सूचित करते हुवे पत्थरगढी किया जाना उचित है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 15 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीनी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 599/239 रकबा 4.1611 हैक्टेयर सरहद मौजा

Satya
उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

मटोल पटवार हल्का बाबा का धोरा तहसील घंटियाली जिला फलोदी में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीनी का कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थीनी द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थीनी को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि की पैमाईश फर्द दिनांक 14.05.2024 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अप्रार्थी संख्या 16 पैरोकार सरकार ने बहस में कथन किया कि खसरा नम्बर 599/239 रकबा 4.1611 हैक्टेयर सरहद मौजा मटोल पटवार हल्का बाबा का धोरा तहसील घंटियाली जिला फलोदी भूमि की पैमाईश फर्द दिनांक 14.05.2024 के अनुसार प्रार्थीनी की हद में प्रार्थीनी और अप्रार्थीगण को सूचित करते हुवे पत्थरगढी किया जाना उचित है।

अधिवक्ता प्रार्थीनी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द, पैरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया गया। प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 599/239 रकबा 4.1611 हैक्टेयर सरहद मौजा मटोल पटवार हल्का बाबा का धोरा तहसील घंटियाली जिला फलोदी में स्थित है। प्रार्थीनी वादग्रस्त भूमि का खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए प्रार्थीनी पैमाईश फर्द दिनांक 14.05.2024 अनुसार पत्थरगढी करवाने की हकदार है। प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीनी स्वीकार किया जाता है कि खसरा नम्बर 599/239 रकबा 4.1611 हैक्टेयर सरहद मौजा मटोल पटवार हल्का बाबा का धोरा तहसील घंटियाली जिला फलोदी भूमि की पत्थरगढी मौका फर्द दिनांक 14.05.2024 अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीनी द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार घंटियाली उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थरगढी करवावे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। प्रार्थीनी का उक्त वर्णित आराजीयात पर कब्जा नहीं होने की स्थिति में यह आदेश कब्जा सुपूर्दगी हेतु मान्य नहीं है। निर्णय आज दिनांक 19.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)
सत्यमेव जयते

(सत्य नारायण–I, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)